निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 140 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट के माह 11/2016 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰ के॰ सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री अरुण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 02/03/2019 से 08/03/2019 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी. के. मट्टू एवं श्री शंकर सिंह दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 23/11/2016 से 01/12/2016 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2014 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: मार्गो एवं पुलो का निर्माण एवं रखरखाव, कनालीदोवा, धारचूला ब्लॉक ।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							गैर स्थापना		स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	-	-	707.93	705.51	1100.18	1100.18	-	-	-	-
2017-18	-	-	858.51	854.43	1654.31	1648.97	-	-	-	1.77
2018-19 (02/2019)	-	-	837.23	711.90	2201.77	1464.54	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

4. स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "B" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव,
2. प्रमुख अभियंता,
3. मुख्य अभियंता,
4. अधीक्षण अभियंता,

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। तदाघाट से थानीघन मोटर मार्ग का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान दिये गए अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया ।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .... तक निरीक्षण किया गया।

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/02/2018 तक की गई।

7. फार्म 51: माह 02/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 27627022.00/-

भाग द्वितीय ` 2033678.00/-

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह .... के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	` 6155431/-
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	` 19326425/-
(ङ)	भण्डार	` 1293255/-

भाग- दो 'अ'

प्रस्तर 1- रु0 60.97 लाख रॉयल्टी (राजस्व) की किये गए कम कटौती की वसूली के संबंध में।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 211/VII-1/24-ख/2007दिनांक 26 फरवरी 2016 के नियम 21 की प्रथम अनुसूची के संशोधन पर स्तम्भ-2 के क्रमांक 6 के अनुसार नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त उपखनिज की रायल्टी की दर रु. 194.50 प्रति घनमीटर होगी।

उत्तरखण्ड शासनऔद्योगिक विकास अनुभाग–1संख्या 842/VII-1/2016/24–ख/2007देहरादून दिनांक 19मई 2016 की अधिसूचना के अनुसार शासन के अधिसूचना संख्या– 211/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 26 फरवरी 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम 21) के क्रमांक– 8 में विहित प्रायोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, की रायल्टी की दर को नियमानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान किया गया।

वर्तमान प्रावधान		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान	
खनिज का नाम	रायल्टी की दर `	खनिज का नाम	प्रतिस्थापित रायल्टी की दर एवं निर्धारित नदी तल (धनराशि रू0 में)
8. विहित प्रायोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो,	194.5 प्रति घन मी0 अर्थात् 8. 85 प्रति कुन्टल	8. विहित प्रायोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो,	1 रू0 8.50 प्रति कुन्टल अर्थात् रू0 187.00 प्रति घन मी0 (गोला नदी) 2. रू0 8.00 प्रति कुन्टल अर्थात् रू0 176.00 प्रति घन मी0 (कोसी, दाबका नदी) 3. रू0 7.00 प्रति कुन्टल अर्थात् रू0 154.00 प्रति घन मी0 (हरिद्वार एवं अन्य स्थान)

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 दिनांक 30 सितम्बर 2016 की अधिसूचना के खनिजों के अभिवहन हेतु ई-रवन्ना पद्यति लागू किये जाने के संबंध में- उक्त के अनुसार राजस्व प्राप्ति के नियमित अनुश्रवण के उद्देश्य से शासन द्वारा खनन से उपखनिजों के राज्य क्षेत्रान्तर्गत अभिवहन हेतु e-form "MM-11" तथा अनुज्ञप्ति धारी भण्डारण/क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्थल से खनिजों के विधिपूर्ण परिवहन/अभिवहन हेतु e-form "J" का निर्धारण किया गया है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि खंड के अंतर्गत किए गये निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों पर रॉयल्टी माह 03/2017 से माह 02/2019 के दौरान 601 ठेकेदारों से बगैर ई-रवन्ना के कारण रु. 154.00 प्रति घनमीटर की दर से रु. 2,31,84,817.00 की कटौती की गयी।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत बगैर ई-रवन्ना (Form-J/MM-11) के उपखनिजों का परिवहन/अभिवहन गैर-विधिक है अतः इस परिस्थिति में जबकि निर्माण कार्यो में प्रयुक्त उपखनिजों का परिवहन नदी तल से या नदी तल से भिन्न स्थानों से किया गया है सुनिश्चित नहीं किया जा सकता न ही उक्त उपखनिज किस नदीं का है सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार राजस्व की कोई हानि न हो तथा इसके पूर्ण सुरक्षा के दायित्व को पूर्ण करते हुए नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त उपखनिजों पर रायल्टी की कटौती तत्कालिक लागू रायल्टी की दर रु. 194.50 प्रति घनमीटर की दर से कटौती की जानी चाहिए थी। फलस्वरूप प्रश्नगत प्रकरण में रायल्टी की दर रु. 194.50 प्रति घनमीटर के स्थान पर रु. 154.00 प्रति घनमीटर की कटौती किये जाने के कारण कुल `60,97,306.00 (`2,92,82,123.00 @ `194.50 - `2,31,84,817.00 @ `154.00)की कम कटौती की गयी।

उक्त के संबंध में खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया कि वर्तमान में रायल्टी की दरें उत्तराखण्ड शासनादेश औद्योगिक विकास अनुभाग–1 संख्या 842/VII-1/2016/24–ख/2007 देहरादून दिनांक 19 मई 2016 में अंकित बिन्दु संख्या 03 के अनुसार हरिद्वार एवं अन्य स्थान हेतु `154.00 प्रति घनमीटर की दर से कटौती की जा रही है। लेखापरीक्षा दल द्वारा रायल्टी का दरें `194.50 के अनुसार कटौती करने के क्रम में संबंधित खनिज विभाग एवं सम्पदा विभाग से स्पष्ट राय लेकर कार्यवाही की जायेगी।

खण्ड का यह कहना कि हरिद्वार एवं अन्य स्थान हेतु रायल्टी की दर रु. 154.00 प्रति घनमीटर (अधिसूचना 19 मई 2016) है उक्त दर नदी तल में उपलब्ध उपखनिजों हेतु विधिपूर्ण परिवहन/अभिवहन (ई-रवन्ना Form-J/MM-11 द्वारा) के लिए लागू है जबकि नदी तल से भिन्न उपखनिज की रायल्टी की दर रु. 194.50 प्रति घनमीटर (अधिसूचना 26 फरवरी 2016) लागू है। उल्लेखनीय है कि नदी तल से भिन्न उपखनिज की रायल्टी दर रु. 194.50 प्रति घनमीटर में कोई संशोधन नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण जिसमें निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों का परिवहन/अभिवहन विधिपूर्ण ई-रवन्ना (Form-J/MM-11) द्वारा नहीं किया गया है, अतः गैर विधिक तरीके से परिवहन/अभिवहन के कारण रायल्टी की कटौती अधिकतम पूर्ण दर रु. 194.50 प्रति घनमीटर की जानी चाहिए थी, अतः खण्ड का रु. 154.00 प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी की कटौती किये जाने का कथन मान्य नहीं है।

अतः रु. 60.97 लाख के रॉयल्टी (राजस्व) की किये गए कम कटौती की वसूली हेतु प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – दो 'ब'

प्रस्तर-1 रु0 3.83 लाख जी0एस0टी0 के भुगतान की सूचना संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर / जी0एस0टी0 विभाग को नहीं किया जाना एवं दो प्रतिशत टी.डी.एस. की कटौती नहीं किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट के माह 07/2017 से माह 09/2018 तक के जी0एस0टी0 भुगतान अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि खंड के अंतर्गत किए गये निर्माण कार्यों के क्रम में ठेकेदार का रु0 383171.00(सूची संलग्न) जी0एस0टी0 भुगतान किया गया। उक्त जी0एस0टी0 का भुगतान की सूचना संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर / जी0एस0टी0 विभाग, अस्कोट/पिथौरागढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु नहीं किया गया, जिससे भुगतान किए गये जी0एस0टी0 सरकार के खजाने में जमा / समय से जमा किया गया अथवा नहीं की सुनिश्चिता तय नहीं की जा सकी।

आगे यह भी पाया गया कि खण्ड द्वारा 8 ठेकेदारों को अक्टूबर 2018 में रु. 8,80,465.00 का जी.एस.टी. के रुप में भुगतान किया गया परन्तु उक्त भुगतान के सापेक्ष दो प्रतिशत टी.डी.एस. की न ही कटौती की गयी न ही उसे राजस्व में जमा किया गया (सूची संलग्न)।

उपरोक्त के इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए उत्तर में बताया गया कि जी.एस.टी. अधिकारी को सूचित कर दिया जायेगा एवं टी.डी.एस. की कटौती ठेकेदारों के अगले देयकों से काट ली जायेगी।

अतः रु0 3.83 लाख जी0एस0टी0 के भुगतान की सूचना संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर / जी0एस0टी0 विभाग, अस्कोट/पिथौरागढ़ को नहीं किया जाना तथा दो प्रतिशत टी.डी.एस. की कटौती नहीं किया जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग– 2 ब

प्रस्तर–2 वित्तीय नियमों के विपरीत भूमि के Clear Title के बिना कार्य प्रारम्भ करना, रू0 7.43 करोड़ के व्ययोपरान्त भी एवं कार्य समाप्ति की अनुबन्धित तिथि से 2 वर्ष अधिक व्यतीत होने के बाद भी कार्य अपूर्ण रहना तथा रॉयल्टी रू0 5.24 लाख की कटौती कम किया जाना।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धारचूला क्षेत्र में तवाघाट से थानीधार तक मोटर मार्ग (किमी0 0.000 से 14.000 तक) हेतु रू0 1595.39 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी (3/2015)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति दो बार में 0.00–7.00 किमी0 एवं 7.00–14.00 किमी0 की मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, द्वारा प्रदान की गई थी (6/2015)। कार्य हेतु एक अनुबन्ध 08/SE/III दिनांक 05.10.2015 श्री दलीप सिंह अधिकारी के साथ धनराशि रू0 15.08 करोड़ का गठित किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समाप्ति की तिथि क्रमशः दिनांक 05.10.2015 एवं 04.04.2017 थी।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्य हेतु स्पर्धात्मक निविदायें प्राप्त नहीं की गई थी। खण्ड को निविदा आमन्त्रण करने पर केवल एक ही निविदा प्राप्त हुई थी, जिसके सापेक्षा ठेका दिया गया था। इस प्रकार निर्माण कार्य हेतु स्पर्धात्मक दरों का प्राप्त न किया जाना अधिप्राप्ति नियमों का उल्लंघन था।

आगे जाँच में यह भी पाया गया कि निर्माण कार्य लेखा परीक्षा तिथि (03/2019) तक कार्य समाप्ति की अनुबन्धित तिथि (04.04.2017) के पश्चात लगभग 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी केवल 50% ही पूर्ण हुआ था (अनुबन्धित धनराशि रू0 1508.00 लाख के सापेक्ष केवल रू0 7.32 करोड़ का कार्य ही हुआ था)। कार्य की गति अत्यन्त धीमी थी। कार्य की गति अत्यन्त धीमी होने के बावजूद ठेकेदार पर अनुबन्ध की शर्तो (GPW-9) के अनुसाथ अर्थदण्ड नहीं लाया गया था।

आगे जाँच में यह भी पाया गया कि खण्ड में ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु लाये गये उपखनिजों पर सम्बन्धित शासनादेश में उल्लेखित रायल्टी दरों @ `194/– के विपरीत @ `154 की दर से रायल्टी की कटौती की गई थी। जिसके कारण रू0 5.24 लाख की रायल्टी की कम कटौती की गई थी।

आगे जांच में यह भी पाया गया कि ग्रामीणों से विवाद एवं मार्ग पर विद्युत लाइन शिफ्ट न होने के कारण कार्य बाधित रहा। इससे स्पष्ट है कि ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ से पूर्व Clear Site उपलब्ध नहीं करवायी गई थी, अर्थात भूमि का Clear Title प्राप्त किये बिना ही कार्य प्रारम्भ किया जो कि वित्तीय हस्तपुस्तिका के पैरा 378 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन था। भूमि का Clear Title प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया

कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगा। खण्ड के उत्तर से **ऑडिट** आपत्ति की स्वतः ही पुष्टि हो जाती है।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा कम **रॉयल्टी** कटौती के बारे में उत्तर में बताया गया कि खनिज विभाग से **रॉयल्टी** की दरें स्पष्ट करके **रॉयल्टी** (अवशेष) की कटौती कर ली जायेगी। एक ही निविदा प्राप्त के सापेक्ष ठेका दिये जाने के सम्बन्ध में खण्ड द्वारा बताया गया कि इस मार्ग हेतु एक मात्र निविदा प्राप्त हुई जो स्वीकृत आगणन से 0.59 प्रतिशत कम है/थी। निविदा दोबारा आमन्त्रित करने पर दरें अधिक आने की सम्भावना एवं अधिक समय लगने की आशंका के कारण दोबारा आमन्त्रित नहीं की गई। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है, जो कि प्राप्त सिंगल बिड की तकनीकि बिड को खोलकर अधिप्राप्ति नियमों का उल्लघंन तो किया ही गया है साथ ही दोबरा निविदा आमंत्रण पर अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें अथवा कम दरें मिलने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। जहां तक खण्ड का कथन है कि अधिक समय लगने की आशंका थी का प्रश्न है तो वर्तमान तक कार्य समाप्ति की अनुबन्धित तिथि के 2 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य अपूर्ण है।

कार्य की अत्यन्त धीमी गति एवं अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार अर्थदण्ड न लगाने के सम्बन्ध में खण्ड द्वारा बताया गया कि इस कार्य की समयवृद्धि सक्षम अधिकारी से 0.1% पर स्वीकृत है, जिसकी वसूली चालू देयक से की गई है। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा अनुबन्ध की शर्तो (GPW-9) के अनुसार कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड लगाना चाहिए था, न कि अपने विवेक के आधार पर।

कम **रॉयल्टी** कटौती के सम्बन्ध में खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है, जो कि **रॉयल्टी** सम्बन्धी शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख है कि कटौती रू0 194 की दर से की जायेगी, साथ ही खण्ड द्वारा ठेकेदारों से कोई ऐसा साक्ष्य नहीं लिया गया कि वे उपखनिज किस नदी/स्थान से लाये थे। अतः बिना किसी साक्ष्य के उनसे कम दरों से कटौती/वसूली नहीं की जा सकती थी और यदि वे शासनादेश में उल्लेखित स्थान से उपखनिज लाये थे तो वहां से रवन्ना/Form-J क्यों प्राप्त नहीं किया गया था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर (3):- अपर्याप्त नियोजन एवं अनुश्रवण के कारण liquidated damage **को नहीं रोके जाने के साथ-साथ कार्य पर** `327.22 **लाख के व्यय के बावजूद कार्य पूर्ण होने में देरी**

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 6531**/ II (2) / 14-38** (प्रा0आ0) / **2014** दिनांक **05** दिसम्बर 2014 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अंतर्गत तवाघाट-नारायण आश्रम मोटर मार्ग (लम्बाई-27 किमी) के किमी-11 से 37 (मुख्य जिला मार्ग-07) में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण एवं सतह नवीनीकरण कार्य हेतु `**956.56** लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लिए `**956.56** लाख की प्रविधिकी स्वीकृति दिसम्बर 2014 में मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के द्वारा प्रदान की गयी थी।

प्रतिवेदन जिसके आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी उसमे मार्ग सुधारीकरण, क्षतिग्रस्त स्थानो पर **G-3,** पीसी एवं **sealcoat,** मार्ग के किनारे पक्की नाली तथा चार व्यू पॉइंट का निर्माण किया जाना था। कार्य सम्पादन के लिए निविदा सूचना संख्या 16 जनवरी 2015 एवं 22 जनवरी 2015 **online** एवं **Print Media** (19 जनवरी 2015) के द्वारा आमंत्रित की गयी थी। न्यूनतम निविदादाता के साथ अधीक्षण अभियंता के स्तर अनुबंध संख्या-25/**SE-III** दिनांक 25 मार्च 2015 का गठन किया गया था। अनुबंधित राशि `**945.34** लाख थी। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की निर्धारित तिथि क्रमश: मार्च 2015 एवं सितम्बर 2016 थी।

अभिलेखो के जांच में पाया गया कि लेखा परीक्षा तिथि तक **9th RA Bill** के द्वारा मार्ग पर `**327.22** लाख (देयक संख्या:-19 (**A**) दिनांक 13 अक्तूबर 2018) की राशि व्यय हुई थी जो यह इंगित करता है कि कार्य की वित्तीय प्रगति मात्र ***34.61 प्रतिशत*** थी जबकि कार्य पूर्ण होने के निर्धारित तिथि सितम्बर 2016 थी। इस प्रकार, कार्य में लेखा परीक्षा के तिथि तक दो वर्ष छह माह की देरी हो चुकी है। पुनः यह भी उल्लेखनीय है कि ठेकेदार को मार्च 2015 `**69.00** लाख का **Mobilisation Advance** प्रदान करने के साथ तथा अधीक्षण अभियंता के पत्र दिनांक 31 मार्च 2018 के द्वारा 15 मार्च 2018 तक समय-वृद्धि 1.5 प्रतिशत अर्थदण्ड के साथ प्रदान किया गया था जबकि ठेकेदार से समय-वृद्धि के लिए आवेदन, कार्य शुरू होने तुरंत बाद जून 2015 में की गयी थी और तदन्तर 2016 एवं 2017 के जून माह में इसे दोहराया गया था। ठेकेदार से **liquidated damage** के रूप में कोई भी राशि रोकी नहीं गयी थी और न ही **penality** अधिरोपित की गयी थी।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य अपूर्ण रहने का मुख्य कारण विषम भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ ठेकेदार द्वारा की जा रही लापरवाही है। **Standard Bidding Document (SBD)** के अनुसार **milestone** प्राप्त नहीं होने के स्थिति में **liquidated damage** के रूप में **withheld** की जानी चाहिए परंतु इस संबंध में पूछे जाने पर खंड

द्वारा कोई उत्तर नहीं देकर यह बतलाया गया कि `**14,18,017.00** की **penality** अधिरोपित की गयी है जिसकी कटौती भुगतान हेतु लंबित 10th **RA Bill** से की जानी है। कार्य पूर्ण करने के लिए जून 2019 तक समय-वृद्धि के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है और अधीक्षण अभियंता के पत्र दिनांक 20.02.2019 के द्वारा प्रगति बढ़ाने के लिए लिखा गया है। उत्तर में यह भी उल्लेखित है कि प्रगति एक सप्ताह के अंदर नहीं बढ़ाने पर अनुबंध का अंतिमिकरण कर दिया जाएगा।

खंड का उत्तर अपर्याप्त नियोजन तथा अनुश्रवण को इंगित करता है जिसकी विवेचना निम्न्वत है।

1. इस कार्य के लिए समय-वृद्धि तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी (मुख्य अभियंता) के द्वरा प्रदान की जानी चाहिए थी न कि अनुबंध गठित करने वाले अधिकारी (अधीक्षण अभियंता) के द्वारा।
2. अधीक्षण अभियंता (दिनांक 20.02.2019) के द्वारा प्रगति बढ़ाने तथा खंडीय उत्तर के अनुसार प्रगति यदि एक सप्ताह के अंदर नहीं बढ़ती है तो अनुबंध का अंतिमिकरण कर दिया जाएगा। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि 13 अक्तूबर 2018 के बाद अब तक केवल एक बिल ही बनी जिसका भुगतान भी लेखा परीक्षा के तिथि तक लंबित है।
3. खंडीय उत्तर में कार्य में देरी का कारण ठेकदार की लापरवाही है परंतु ठेकेदार पर वर्तमान तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और ना ही कोई **liquidated damage** के रूप देयक से किसी राशि को **with-held** किया गया था।

भाग - 03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
56/2002-03	01 (प्रस्तर-2)	-	-
31/2003-04	01	-	-
28/2005-06	-	01 (प्रस्तर-2)	-
63/2006-07	-	03 (प्रस्तर-3)	-
57/2012-13	-	01, 02, 03, 04	-
89/2016-17	-	01, 02, 03, 04, 05	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			खंड ने उत्तर में बताया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों से संस्तुति कराकर कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित कर दी जाएगी, अत: उक्त प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई. ए. बी. काण्डपाल	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से 24/11/2017 तक।
2.	ई. एच. एस. रावत	अधिशासी अभियंता	24/11/17 से 14/12/17 तक ।
3.	ई. आई. ए. शेख	अधिशासी अभियंता	14/12/17 से 23/12/17 तक।
4.	ई. महेंद्र कुमार	अधिशासी अभियंता	23/12/17 से 02/01/18 तक।
5.	ई. आई. ए. शेख	अधिशासी अभियंता	03/01/18 से 15/02/18 तक।
6.	ई. महेंद्र कुमार	अधिशासी अभियंता	15/02/18 से 13/03/18 तक।
7.	ई. आई. ए. शेख	अधिशासी अभियंता	15/03/18 से 16/06/18 तक।
8.	ई. दीपक गुप्ता	अधिशासी अभियंता	16/06/18 से वर्तमान तक।

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंध रहे।**

   (i) श्री श्रवण शाह 29/06/15 से 28/07/18 तक।

   (ii) श्री अमृतेश प्रताप सिंह 28/07/18 से 12/09/18 तक।

   (iii) श्री सुबोध कुमार 12/09/18 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2,कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II